फर्द अहकाम

नियम– 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

जगदीश बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :- 62/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
29.07.2024	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रार्थी द्वारा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि रोही मौजा भानगढ के खाता सं0 104/182 में प्रार्थी का नाम पप्पूसिंह पुत्र कालुराम दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम जगदीश पुत्र कालूराम है। अतः उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जावें। प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार भादरा से रिर्पोट प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा पेश सभी दस्तावेजों एवं तहसीलदार भादरा की रिर्पोट का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सवंत् 2075–2078 रौही मौजा भानगढ के खाता सं0 104/182 में प्रार्थी का नाम पपूसिंह पुत्र कालुराम हिस्सा 1873/13481 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि मंगाली अकलान हिसार के है जिनमें जगदीश पुत्र कालुराम दर्ज है। तहसीलदार भादरा की रिपार्ट का अवलोकन किया गया जिसमें यह नहीं बताया गया है कि उक्त नाम किस माध्यम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र तथा किसी भी सहखातेदार का शपथ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी का नाम पपूसिंह की जगह यदि जगदीश किया जाता है तो नाम में अधिक भिन्नता के कारण खातेदारी अधिकार परिवर्तित होना प्रतित होता है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29-07-24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। [signature] 29-07-24 Signature Not Verified Digitally signed by Om Prakash Chandeliya Date: 2024.08.05 14:43:32 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner